

को पेश हो।

29-12-17

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन

सम./अनुसूचित। पीठासीन अधिकारी से

/अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अभिन

कार्यवाही हेतु दिनांक... 8-2-18

को पेश हो।

8-2-18

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन

सम./अनुसूचित। पीठासीन अधिकारी से

/अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अभिन

कार्यवाही हेतु दिनांक... 24-4-18

को पेश हो।

24-4-18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान

न्याय आपके द्वार 2018 में रखे जाने

योग्य पायी जाने पर कैम्प स्थल अटल

सेवा केन्द्र गुमान सिंह जी का 12.11.18 का पत्रावली

21 05
18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत
अभियान : न्याय आपके द्वार कार्यक्रम
2018 के तहत कैम्प स्थल अटल
सेवा केन्द्र, गणी गुमान सिंह में पेश
हुई। प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार
खलेल से वर्तमान रेकार्ड एवं निधि
की रिपोर्ट ली गई।

गुमान सिंह रिपोर्ट

तहसीलदार जयपुर, प्राची दुबारा कांछिन अनुप
प्रदत्त किया जा चुका है। पत्रावली कांछिन
दिनांक 23/06/2018 को पेश हो।

23/06/18

पत्रावली का हुका अनुप परिकल्प

✓ ~~पत्रावली~~ पीठासीन अधिकारी को

✓ ~~पत्रावली~~ पत्रावली अधिन

कार्यवाही हु दिनांक 25/8/18

को पेश हो। ~~अ~~

25/08/18

पत्रावली का हुका अनुप परिकल्प

✓ ~~पत्रावली~~ पीठासीन अधिकारी को

✓ ~~पत्रावली~~ पत्रावली अधिन

कार्यवाही हु दिनांक 26/12/2018

को पेश हो। ~~अ~~

26/12/18

पत्रावली का हुका अनुप परिकल्प

✓ ~~पत्रावली~~ पीठासीन अधिकारी को

✓ ~~पत्रावली~~ पत्रावली अधिन

कार्यवाही हु दिनांक 03/04/19

को पेश हो। ~~अ~~

03/04/19

पत्रावली का हुका अनुप परिकल्प

✓ ~~पत्रावली~~ पीठासीन अधिकारी को

✓ ~~पत्रावली~~ पत्रावली अधिन

कार्यवाही हु दिनांक 20/12/2020

को पेश हो। ~~अ~~

03/04/2021

पत्रावली का हुका अनुप परिकल्प

✓ ~~पत्रावली~~ पीठासीन अधिकारी को

✓ ~~पत्रावली~~ पत्रावली अधिन

कार्यवाही हु दिनांक 26/02/2021

को पेश हो। ~~अ~~

26/2/2021

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि दस्तगत पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आप के द्वार 2018 के तहत कैम्प स्क्वल पर प्रस्तुत हुई थी, जिसमें भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला द्वारा बाद जॉच रिकार्ड प्राची द्वारा चाहे गए अनुतोष का अंकन राजस्व रिकार्ड में हो चुका है। उक्त तथ्यों का ध्यान में रखते हुए दस्तगत प्राची पत्र में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्राची पत्र इस स्तर पर DROP किया जाता है। पत्रावली फैसल गुमार हेक्टर नम्बर से कम हो तब्या बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 26/02/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
SAS
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला, सीकर